तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 1885 / 2007 / जयपुर दुलीचन्द बनाम ग्यारसीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री एस.पी.ओझा, अभिभाषक प्रार्थी

श्री हंगामी लाल चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 26–6–2023

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, फागी द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–10–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज किया है ।

3– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एंव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, फागी के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570,571, 572, 573, कुल किता 10 कुल रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा ग्राम गोविन्दपुरा तहसील फागी में स्थित है जो उनकी संयुक्त खातेदारी की है । लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उनका हिस्सा नहीं दिए जाने से यह वाद प्रस्तुत किया, जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया । उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18–11–2005 से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया । दिनांक 13–7–2006 को भंवरलाल,श्योजीराम, घासीराम द्वारा एक प्रार्थना–पत्र पेश किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि को उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा से विमुक्त किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज मुताबिक हिस्से बाबत ही स्थगन आदेश जारी किया जावे । तत्पश्चात् प्रार्थी/वादी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी उक्त आराजी का अवैधानिक तरीके से स्थगन समाप्त कर बेचान करना चाहता है जबकि विधिवत रूप से विवादित आराजी का विभाजन किए बगैर सहखातेदार बेचान नहीं कर सकता है । दिनांक 13–7–2006 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के आधार पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 1885 / 2007 / जयपुर दुलीचन्द बनाम ग्यारसीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी का विवादित आराजी में निहित हो गया है एवं उनके द्वारा वाद में भी आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम प्रार्थी को पक्षकार कायम किया जाकर नियमानुसार निर्णय पारित किया जावे। उपखण्ड अधिकारी, फागी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19–10–2006 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) खारिज कर दिया । उपखण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय दिनांक 19–10–2006 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । उनका कथन है कि विवादित आराजी सहखातेदारी की दर्ज है एवं भवंरलाल,श्योजीराम, घासीराम अविभाजित भूमि को बेचान करने के उद्देश्य से अस्थाई निषेधाज्ञा हटवाना चाहते हैं । इसलिए विवादित आराजी के सहखातेदार भवंरलाल, श्योजीराम, घासीराम पिसरान रामदेव बैरवा को सहखातेदार को पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना उचित है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सहखातेदारों को पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं बताते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया । प्रार्थी / वादी द्वारा पृथक से आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया है लेकिन उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पहले ही खारिज कर दिया। यदि आदेश 6 नियम 17 सीपीसी स्वीकार हो जाता तो उक्त व्यकितयों को जिनको नाम जोड़ने का निवेदन किया था, उनके नाम वाद में नहीं जोड़ने से विभाजन की रिलीफ ही प्रभावहीन हो जाती है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विभाजन के वाद में सहखातेदारों का संयोजन आवश्यक है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किए बगैर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, फागी का निर्णय दिनांक 19–10–2006 निरस्त किया जावे । 4– अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है । प्रार्थी द्वारा दावे में पक्षकार बनने हेतु आवेदन किया है या नहीं यह साबित नहीं किया गया है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का है जिसमें अप्रार्थी के पिता श्योला का हिस्सा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्पीकिंग व कारणसहित आदेश है । निगरानी का दायरा सीमित होता है । अतः निगरानी खारिज की जावे ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 1885 / 2007 / जयपुर दुलीचन्द बनाम ग्यारसीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5— हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं निगराधीन आदेश का अवलोकन किया। 6— हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 का वाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना—पत्र भी प्रस्तुत किया गया । उपखण्ड अधिकारी, फागी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18—11—2005 द्वारा विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी संवत 2061 से 2064 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अतिरिक्त भवंरलाल,श्योजीराम, घासीराम का हिस्सा 1/3 दर्ज है । इससे यह प्रकट होता है कि प्रार्थी/वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें वह भी सहखातेदार दर्ज है । इसलिए प्रार्थी/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् एक प्रार्थना—पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी भी प्रस्तुत किया हुआ है । किन्तु उससे पूर्व ही आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना—पत्र निर्णित हो गया । चूंकि विवादित आराजी पर ग्यारसा पुत्र श्योला, नानगा पुत्र छीतर हि.2/3 कौम रेगर, भवरंलाल,श्योजीराम, घासीराम पि0 रामदेव हि1/3 जाति बैरवा सा0खातेदार जमाबन्दी संवत 2061 से 2064 में दर्ज होने से वे भी प्रभावित पक्षकार है एवं उनके नाम विवादित आराजी होने से उन्हें भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना आवश्यक है। इस संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस आशय का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया था। दावा क्रमांक 310/2005 दूलीचन्द बनाम ग्यारसीलाल वाद विचाराधीन है। उसमें केवल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से तक टीआई जारी की जावे जबकि इसमें सम्पूर्ण रकबे पर टीआई जारी की गई है। इसलिए प्रार्थी के हिस्से को विमुक्त किया जावे । ऐसी स्थिति में प्रार्थी/वादी का वाद का उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा। इस कारण उसके द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना—पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना समुचित कारण अंकित किए खारिज कर दिया । विवादित भूमि सहखातेदारों की भूमि है जिसमें अप्रार्थी ग्यारसा के अलावा नानगा पुत्र छीतर, भवंरलाल,श्योजीराम, घासीराम पि. रामदेव जाति बैरवा का नाम दर्ज है। इसलिए वे भी प्रभावित पक्षकार है एवं सहखातेदारी की भूमि के विवाद में उन्हें भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है किन्तु अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 1885 / 2007 / जयपुर दुलीचन्द बनाम ग्यारसीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय ने उन्हें पक्षकार नहीं बनाकर सद्भाविक त्रुटि कारित की है। किसी भी प्रकरण के समुचित न्याय निर्णयन हेतु सभी प्रभावित एवं सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर निर्णय किया जाना विधिसम्मत होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें पक्षकार नहीं बनाकर त्रुटि कारित की है । भूमि को संरक्षित रखना न्यायालय का दायित्व है इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है परन्तु सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि कारित की गई है जो निगरानी के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है । 7— उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19—10—2006 निरस्त किया जाता है । उपखण्ड अधिकारी, फागी को निर्देश दिए जाते हैं कि वे उनके समक्ष लम्बित प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र आदेश 1 नियम 10 (2)सीपीसी में वर्णित प्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17—7—2023 को उपस्थित हों । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे । पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	